



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179940

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन संख्या

- 8219 वर्ष 2026

ओमप्रकाश यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : यादवेश यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 12.08.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. वाद पुकारा गया।

2. विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रार्थना के अनुसार, विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश प्राप्त करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामला अत्यावश्यक है और उसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त हरिराम उर्फ हरि राम गुप्ता के साथ समानता का भी दावा किया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 4666 सन् 2026 में पारित दिनांक 22.05.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

5. दिनांक 25.08.2026 को अपराहन 2:00 बजे नए मामले के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

6. दिनांक 25.08.2026 तक, आवेदक-ओमप्रकाश यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो मुकदमा अपराध संख्या 0013 सन् 2020, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 आई.पी.सी., थाना-वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद-वाराणसी में अभियुक्त है, उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।

7. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के अनुपालन में विफलता की स्थिति में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।"

2. आज, जब वाद पुकारा गया, विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामला वित्तीय वर्ष 2004-05 से संबंधित है। आवेदक उचित दर दुकान का एजेंट है। सह-अभियुक्त हरिराम उर्फ हरि राम गुप्ता, जो स्वयं भी उचित दर दुकान का एजेंट था, को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 4666 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। लगभग पंद्रह वर्ष के दीर्घ विलंब के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 से जांच लंबित है और आवेदक के विरुद्ध फरार होने अथवा जांच में सहयोग न करने का कोई आरोप नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त हरिराम उर्फ हरि राम गुप्ता के समान स्थिति में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. संबंधित अपराध वित्तीय वर्ष 2004-05 से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2020 में दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने में हुए अत्यधिक विलंब के संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त हरिराम उर्फ हरि राम गुप्ता को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और यह नहीं कहा गया है कि उसने इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। यह भी नहीं कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. आवेदक - **ओमप्रकाश यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे मुकदमा अपराध संख्या 0013 सन् 2020, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 आई.पी.सी., थाना-वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद-वाराणसी में दिनांक 12.08.2026 के पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

ए. पांडेय

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!